अल्पकालीन निविदा सूचना

निविदा :-

1–पर्यटक आवास गृह, हॉली–डे–होम अल्मोड़ा में 03 फोर बैडेड कक्षों में फर्नीचर आपूर्ति का कार्य। 2–प्रबन्ध निदेशक, आवास में ग्लास हाउस का निर्माण कार्य। 3–विकास खण्ड चम्पावत के अन्तर्गत सर्किट हाउस से हिंग्लादेवी के मध्य कई वाचिंग ट्रेल्स का विकास। 4–विकास खण्ड चम्पावत के अन्तर्गत बारहखाम स्मारक का संरक्षण एवं चाहरदीवारी का निर्माण। 5–कमलताल नौकुचियाताल के पास व्यू प्वाइंट/डैक के उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।

(सम्बन्धित कार्य हेतु विस्तृत सूचना निगम वेबसाईड www.kmvn.in में दिनांक 19.02.24 से देखी जा सकती है।)

ई–निविदा :-

6–जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी में खलिया टॉप तक ट्रैकिंग रूट (साईनेजेज, बैन्चेज, व्यू पाइन्ट) का निर्माण कार्य। 7–उ0प्र0अकादमी, नैनीताल में स्थित आडिटोरियम का आधुनिकीकरण एवं सुधारीकरण का अवशेष कार्य।

(उपरोक्त ई–निविदा से सम्बन्धित सूचना दिनांक 23.02.24 से www.uktenders.gov.in में एवं निगम वेबसाईड www.kmvn.in में देखी जा सकती है। निविदा में किसी भी प्रकार का संसोधन निगम वेबसाईड www.kmvn.in के माध्यम से ही किया जायेगा।)

महाप्रबन्धक (नि0)

अल्पकालीन निविदा सूचना

कु0म0वि0नि0लि0, नैनीताल में पंजीकृत सिविल (भवन) कार्य करने वाले ठेकेदारों से बन्द लिफाफे में निविदा दिनॉक 04.03.24 को अपरान्हन 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन 2.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख गठित समिति द्वारा खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र दिनॉक 17.02.24 से दिनांक 02.03.24 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क (जी0एस0टी0 सहित) जमाकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा सम्बन्धी समस्त जानकारी किसी भी कार्य दिवस में निगम कार्यालय, ओक पार्क हाउस, मल्लीताल, नैनीताल में देखी जा सकती है, तथा निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन निगम वेबसाईड के माध्यम से ही किया जायेगा।

क.सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी0एस0टी0 सहित)	धरोहर राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता	श्रेणी (भवन)
	निर्माण खण्ड–					
1.	पर्यटक आवास गृह, हॉली–डे–होम अल्मोड़ा में 03 फोर बैडेड कक्षों में फर्नीचर आपूर्ति का कार्य।	1180.00	13000.00	01 माह	15 दिन	फर्नीचर निर्माण एवं आपूर्ति का अनुभव प्रमाण पत्र एवं संलग्न शर्त अनुसार।
2.	प्रबन्ध निदेशक, आवास में ग्लास हाउस का निर्माण कार्य।	1180.00	15000.00	02 माह	15 दिन	"डी"श्रेणी
3.	विकास खण्ड चम्पावत के अन्तर्गत सर्किट हाउस से हिंग्लादेवी के मध्य बर्ड वाचिंग ट्रेल्स का विकास।	1770.00	37000.00	04 माह	15 दिन	"सी"श्रेणी
4.	विकास खण्ड चम्पावत के अन्तर्गत बारहखाम स्मारक का संरक्षण एवं चाहरदीवारी का निर्माण।	590.00	7400.00	03 माह	15 दिन	"डी"श्रेणी
5.	कमलताल नौकुचियाताल के पास व्यू प्वाइंट/डैक के उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	1180.00	11,400.00	02 माह	15 दिन	"डी"श्रेणी
	निर्माण खण्ड "ई"–निविदा					
6.	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी में खलिया टॉप तक ट्रैकिंग रूट (साईनेजेज, बैन्चेज, व्यू पाइन्ट) का निर्माण कार्य।	उक्त से सम्बन्धित सूचना www.uktenders.gov.in में देखी जा सकती है।				
7.	उ0प्र0अकादमी, नैनीताल में स्थित आडिटोरियम का आधुनिकीकरण एवं सुधारीकरण का अवशेष कार्य।	उक्त से सम्बन्धित सूचना www.uktenders.gov.in में देखी जा सकती है।				

शर्तें:–किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय एवं निगम वेबसाईड www.kmvn.in में देखी जा सकती है। यदि उपरोक्त पर कोई संशोधन किया जाता है (ई–निविदा को छोड़ते हुए) तो उसकी सूचना केवल निगम की वेबसाईड के माध्यम से प्रदर्शित की जायेगी।
निविदादाता को निम्न शर्तो का पालन करना अनिवार्य है।

नोट–मद संख्या (01) के कार्य हेतु निविदा शर्तें पृथक से दी गयी है।

1–निविदा केवल निगम में पंजीकृत ठेकदारों को ही विक्रय की जायेगी तथा उनके द्वारा निविदा प्रपत्र क्रय करने से पूर्व पंजीयन प्रमाण–पत्र तथा सम्बन्धित कार्य की धरोहर राशि नियमानुसार एफ0डी0आर0 के रूप में महाप्रबन्धक,नि0 कु0म0वि0नि0 के नाम बन्धक होनी चाहिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2–निविदादाता द्वारा जी0एस0टी0, PAN NO तथा आयकर, पंजीकृत प्रमाण पत्र की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

3–निविदा के साथ रू0 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त रू0 1.00 का रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्न करना आंवश्यक है।

4–अपूर्ण, सर्शत एवं संदिग्ध निविदा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी ।

5–निविदा में मात्रायें घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है, जिसमें ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।

6–अनुबन्ध गठन हेतु बुलाये गये समय तथा अनुबन्ध गठन करने के एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया, तो निविदा/अनुबन्ध की धरोहर/जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त की जायेगी।

7–अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक या एक से अधिक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

8–अनुबन्ध गठित करने पर शासनादेशों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लगाना आवश्यक है।

9–निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है या त्रुटिपूर्ण माप के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को हानि भी पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस हानि की धनराशि की वसूली शासनादेश संख्या 983/23–999–11/96 लो.नि.वि. के अनुभाग–9 लखनऊ दिनॉक 12 मई, 1999 के अनुच्छेद (2) निहित प्राविधानों अनुसार की जायेगी।

10–यदि शासन/निगम प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार केवल किये गये कार्य के भुगतान का दावेदार होगा। शेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

11–उपरोक्त निर्माण कार्य निगम में उनके सापेक्ष उपलब्ध धनराशि के अनुसार ही कराये जायेंगे।

12–निविदा की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।

13–निविदा की दरें प्रतिशत में ही मान्य होगी, जो कि अंक एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा जाना अनिवार्य है तथा आंगणन राशि से कम में ही मान्य होंगे।

14–ई–निविदा में Tender Download की तिथि एवं निविदा UP Load एवं खोले जाने की तिथि निगम वेबसाइड www.kmvn.in एवं www.uktenders.gov.in में देखी जा सकती है।

(P.T.O.)

कमशः

15–ऑफ लाईन निविदा सिविल कार्य में अंकित सम्मुख श्रेणी से एक श्रेणी उच्च की निविदा में निविदाकार द्वारा प्रतिभाग किया जा सकता है। (जैसे निविदा के सम्मुख "डी" श्रेणी अंकित है तो "सी" श्रेणी में पंजीकृत निविदादाता द्वारा भी प्रतिभाग किया जा सकता है।)

16–ठेकेदार को आवटित कार्य का अनिवार्य रूप से बीमा कराना आवश्यक है।

महाप्रबन्धक (नि0)

कार्यालय कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल

पत्रांक 4699 /10–नि0/23–24 दिनांक 19/12, 2024

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1–प्रबन्ध निदेशक, महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2–सहायक अभियन्ता नैनीताल/अल्मोड़ा/चम्पावत/पिथौरागढ को शैड्यूल 'बी' तैयार करने हेतु प्रेषित।
3–सहायक अभियन्ता, कु0म0वि0नि0 काठगोदाम/बागेश्वर/ऊधमसिंहनगर को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।
4–अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि. प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल/अल्मोड़ा/चम्पावत/पिथौरागढ को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
5–मुख्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
6–अनुबन्ध पत्रावली हेतु ।
7–कैशियर निर्माण खण्ड, निविदा विक्रय के समय निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा विक्रय किया जाना सुनिश्चित करें।
8–कम्प्यूटर कक्ष को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

महाप्रबन्धक (नि0)

पर्यटक आवास गृह, हॉली–डे–होम, अल्मोड़ा में 03 फोर बैडेड कक्षों में फर्नीचर की आपूर्ति निविदा मद सं0 (01) के कार्य हेतु

निविदादाता को निम्न शर्तो का पालन करना अनिवार्य है

1–निविदा के साथ रू0 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त रू0 1.00 का रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक है

2–अपूर्ण, सर्शत एवं संदिग्ध निविदा किसी दशा में मान्य नहीं होगी ।

3–निविदा में मात्रायें घटाई एवं बढ़ाई जा सकती हैं जिसमें ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।

4–अनुबन्ध गठन हेतु बुलाये गये समय तथा अनुबन्ध गठन करने के एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तो निविदा/अनुबन्ध की धरोहर/जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त की जायेगी।

5–अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक या एक से अधिक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

6–अनुबन्ध गठित करने पर शासनादेश के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लगाना आवश्यक है।

7–निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है या त्रुटिपूर्ण माप के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को हानि भी पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में उस हानि की धनराशि की वसूली शासनादेश संख्या 983/23–999–11/96लो.नि.वि. के अनुभाग–9 लखनऊ दिनॉक 12 मई, 1999 के अनुच्छेद (2) निहित प्राविधानों अनुसार की जायेगी।

8–यदि शासनादेश/उच्च अधिकारियों द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार केवल किये गये कार्य के भुंगतान का दावेदार होगा। शेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

9– कार्य निगम/निर्माण खण्ड में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कराये जायेंगे।

10–निविदा की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।

11–फर्नीचर कार्यस्थल पर कक्षों के अनुसार ही तैयार किया जायेगा। अलमीरा, ड्रैसिंग मिरर व लगेज रैक को एक यूनिट की तरहे तैयार किया जायेगा।

12–निविदादाता को जी0एस0टी0, PAN NO. में पंजीकृत होना आवश्यक है। जिसकी छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है

13–ठेकेदार द्वारा धरोहर राशि के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि नियमानुसार जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

14–पर्यटक आवास गृह के कक्षो मे मानक अनुसार सागोन (Teak) की लकड़ी से बने डबल बेड, बेड रेस्ट, साइड टेबल, सेन्टर टेबल, कुर्सी उपलब्ध करायी जानी है।

15–पर्यटक आवास गृह के कक्षो मे मार्डन लुक अनुसार अल्मारी, ड्रेसिंग, मिरर, लगेज, रैक एक यूनिट की भॉति लगाया जायेगा। तथा L.E.D हेतु आकर्षक वॉल केबिनेट लगायी जायेगी।

16–दरो में आपूर्ति एवं फिक्सिंग एवम् ढुलान सम्मिलित होगा।

17–पर्यटक आवास गृह मे फर्नीचर की फोटो संलग्न है, नमूना हेतु तद्नुसार ही सप्लाई ली जायेगी।

18–पर्यटक आवास गृह के स्थल में परिवर्तन किया जा सकता है।

19–कक्षो की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

20–फर्नीचर की प्रत्येक मद की दर अंकित की जानी होगी।

21–Teak wood shall be Anti Termite chemically Treated.

22–Where ever Plywood used should be water proof and Anti Termite chemically Treated.

23–पर्यटक आवास गृह में फर्नीचर आपूर्ति हेतु निविदादाता द्वारा स्थल का भौतिक निरीक्षण किया जाय। स्थलीय आवश्यक्तानुसार ही फर्नीचर की आपूर्ति की जायेगी।

Scanned with OKEN